

16.08.21

पत्रावली पेश हुई। अगले पक्ष उपस्थित। वकील चार्जी ने पत्रावली को नोटिस किया। वकील चार्जी अब पत्रावली को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः यह मुंबई जिले की पत्र नोटिस में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मध्य अभिलेख उपखण्ड अधिकारी माडोंटी को भिजवाई जावे। पत्रावली फौजल शुजा होकर बाद तकनीक दायित्व इच्छा हो।

मो. अ. अ. अ.
वि. अ. अ. अ.
16/08/21


बिना कलकठ
करीम